



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273748
CG-DL-E-23062026-273748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3214]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3214]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3347(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम स. 1 के सामने यथा उल्लिखित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) में संशोधनों से संबन्धित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एल-11018/1/2025-न्या.1]

जी. मुथुराजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Justice)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

S.O. 3347(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 8th day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to amendment in the Court-fees Act, 1870 (7 of 1870), as specified against serial no.1 of the Schedule to the said Act, shall come into force.

[F. No. L-11018/1/2025-Jus.I]

G. MUTHURAJA, Jt. Secy.